जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 28-09-2021**

आज दिनांक 28.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

गैर इरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन मे जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अनिल दूबे के नेतृत्व मे गठित टीम द्रारा आज दिनॉक 28.09.2021 को मु0अ0सं0 427/2021 धारा 147/323/504/308/304 भादवि मे वांछित 02 अभियुक्त नाम पता 1- झिलक उर्फ रफीक पुत्र अब्दुल समद 2- सईदुर्रहमान पुत्र शाहमोहम्मद निवासीगण गोविन्दगंज (टडौली माफी) थाना धनघटा जनपद संतकबीनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- झिलक उर्फ रफीक पुत्र अब्दुल समद निवासी गोविन्दगंज (टडौली माफी) थाना धनघटा जनपद संतकबीनगर।

2- सईदुर्रहमान पुत्र शाहमोहम्मद निवासी गोविन्दगंज (टडौली माफी) थाना धनघटा जनपद संतकबीनगर।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 427/2021 धारा 147/323/504/308/304 भादवि।

विवरणः- उल्लेखनीय है कि थाना धनघटा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम गोविन्दगंज में वादी श्री मजीबुर्रहमान पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी गोविन्दगंज द्वारा दिनांक 27.08.2021 को सूचना दिया गया कि उन्ही के गांव के प्रतिवादीगणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास हेतु आये सरकारी धन की बात को लेकर प्रतिवादीगण द्वारा एकराय होकर गाली गुप्ता व मारपीट किया गया था जिसमें वादी के साले याकूब को मारकर बेहोश कर दिया गया था जिनका बाद में इलाज के उपरान्त घर पर निधन हो गया । घटना के संबंध में थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 427/2021 धारा 147/323/504/308/304 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी पौली उ0नि0 श्री दीपक दूबे मय हमराहीगण।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहादवल पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता रामशेखर निषाद पुत्र ललई निषाद निवासी बीमापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 277/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – प्रभारी चौकी विसौवा उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव मय हमराह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत धनघटा से इवेन्ट संख्या 00588 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 03 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 मनोज कुमार यादव, म0आ0 सीमा यादव, म0आ0 ममता यादव, हो0चा0 सोमनाथ यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 89 वाहनो से 68500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 89 वाहनो से 68500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।